न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

दायरा दिनांक 28.05.2025

प्रकरण संख्या 01/25

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

राजेश नागर पत्नि गिरिराज नागर कोम धाकड निवासी बालाजी राइस मिल के सामने कोटा रोड बारां राज0 — प्रार्थी

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला–बांरा राज0 — अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

आदेश दिनांक 10.07.2025

उपस्थित
प्रार्थी की ओर से – श्री के.एस. यादव एडवोकेट
अप्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम नादिया पटवार हल्का बीची तहसील शाहाबाद जिला बारां में ख0नं0 23/3 रकबा 3.11 बीघा, ख0नं0 24/1 रकबा 2.00 बीघा, ख0नं0 24/2 रकबा 2.00 बीघा, ख0नं0 25/1 रकबा 2.00 बीघा, ख0नं0 84/2 रकबा 1.00 बीघा किता 5 कुल रकबा 10.11 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी की स्थित है। प्रार्थी की उक्त भूमि का सीमाचिन्ह आदि नहीं होने से आसपास के काश्तकारों से विवाद रहने की संभावना रहती है। प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित भूमि का सीमांकन कर स्थायी सीमाचिन्ह पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। पत्थरगढी बावत यह प्रार्थनापत्र पेश है। उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुनवाई की गई। प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम नादिया तहसील शाहाबाद सम्वत 2074 से 2077 खाता संख्या 8 अनुसार प्रार्थी विवादित भूमि ख0नं0 23/3 रकबा 3.11 बीघा, ख0नं0 24/1 रकबा 2.00 बीघा, ख0नं0 24/2 रकबा 2.00 बीघा, ख0नं0 25/1 रकबा 2.00 बीघा, ख0नं0 84/2 रकबा 1.00 बीघा किता 5 कुल रकबा 10.11 बीघा का रिकार्डेड खातेदार हैं तथा प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी अनुसार प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा दर्ज रिकार्ड है, इस आधार पर पत्थरगढी के आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहाबाद को आदेशित किया जाता है कि वे मौके पर ग्राम नादिया तहसील शाहाबाद स्थित विवादित आराजी ख0नं0 23/3 रकबा 3.11 बीघा, ख0नं0 24/1 रकबा 2.00 बीघा, ख0नं0 24/2 रकबा 2.00 बीघा, ख0नं0 25/1 रकबा 2.00 बीघा, ख0नं0 84/2 रकबा 1.00 बीघा किता 5 कुल रकबा 10.11 बीघा की सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करावें। पालनार्थ तहसीलदार शाहाबाद को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.08.19 11:35:10 IST
Reason: SelfAttested

10.07.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद